e newsletter

30th issue

CMAR

CITY MANAGERS' ASSOCIATION RAJASTHAN

Promoting Excellence In City Management...

CMAR 30th e-Newsletter Issue

Editor in Chief:	**Dr. Manjit Singh, IAS** (Principal Secretary, LSGD, GoR)
Editorial Board:	**Shri Pawan Arora** (Director cum Joint Secretary, LSGD, GoR)
Editorial & Compilation:	**Dr. Himani Tiwari** (Coordinator, CMAR) **Mr. Sharawan Kumar Sejoo** (Research Assistant, CMAR)
Digital Typesetting:	**Mr. Arjun Pal** (IT Expert, CMAR)
CMAR Team:	**Mr. Sandeep Nama** (Research Investigator, CMAR) **Mr. Sitaram Verma** (Assistant, CMAR)

Our sincere thanks to:

Shri Mukesh Kumar Meena (RAS)	(Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Dr. Virendra Singh (RAS)	(Dy. Director (Administration), Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S)	(Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri R.K. Vijayvargia	(Sr. Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Brijesh Pareek	(PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)

For suggestions/feedback please write to:

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,
Telefax: 0141-2229966, website: www.cmar-india.org, Email: cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

Contents

स्मार्ट सिटी उदयपुर को मिली प्रदेश के पहले स्मार्ट अंडरग्राउंड पार्किंग की सौगात	1
आपदा प्रबन्धन कार्यशाला	3
स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 20 नगरीय निकाय खुले मे शौच मुक्त	6
एमजेएसए को देश का सबसे अच्छा फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाएं— मुख्यमंत्री	8
मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के सफल क्रियान्विति के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन	10
नगर परिषद बाड़मेर की पहलः गूगल मैप पर अपने मौहल्ले का कचरा पात्र देख सकेंग	14

स्मार्ट सिटी उदयपुर को मिली प्रदेश के पहले स्मार्ट अंडरग्राउंड पार्किंग की सौगात

गृहमंत्री ने किया अत्याधुनिक पार्किंग स्थल का लोकार्पण

प्रदेश के पहले स्मार्ट अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण 02 अप्रैल, 2017 को स्मार्ट सिटी उदयपुर के नगर निगम परिसर में गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने किया। पार्किंग शुल्क की पहली पर्ची भी श्री कटारिया ने कटाई और अपनी कार को पार्किंग स्थल में लेकर गए।

करीब साढ़े चौदह करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त भूमिगत पार्किंग से उदयपुर शहर में पार्किंग की समस्या के निवारण में काफी हद तक सफलता मिलेगी। इसमें दुपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित करने एवं इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शुमार होने लायक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही।

शहर में हो रहे विकास कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि चौतरफा विकास कार्यों से शहर का कायापलट हो गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, ईएसआई हॉस्पीटल, खेलगांव, साइंस पार्क, बर्ड पार्क, सज्जनगढ़ पर म्यूजियम, नीमजमाता रोप वे, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे कई कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि उदयपुर शहर दुनिया के नक्शे पर छा रहा है। अमृत योजना के 274 करोड़, स्मार्ट सिटी के 12 करोड़, यूआईटी व नगर निगम के बजट आदि को जोड़ कर उन्होंने कहा कि शहर में पांच साल के विकास के लिए पांच हजार करोड़ का बजट है जिसका उपयोग कर सब कार्य करवाए जा रहे। उन्होंने शहरवासियों से उदयपुर को ओडीएफ करने की अपील की।

श्री कटारिया ने क्षेत्र के विकास में मावली–मारवाड़ ब्रॉड गेज, मावली–बड़ीसादड़ी– नीमच रेल लाइन, उदयपुर–अहमदाबाद आमान परिवर्तन, देबारी–काया नेशनल हाइवे बायपास, संभाग की नदियों को जोडने जैसे बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा भी की। सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा, जिला प्रमुख श्री शांतिलाल मेघवाल, यूआईटी चेयरमेन श्री रवीन्द्र श्रीमाली, मेयर श्री चंद्रसिंह कोठारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आपदा प्रबन्धन विषय पर अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

आपदा प्रबन्धन उन योजनाओं को बनाना है जिनके माध्यम से समुदाय को आपदा से होने वाले खतरों से अवगत कराया जा सकता है एवं साथ–साथ आपदा का समाना करने का उपाय भी बताया जा सकता है जिससे जनहानि न हो। आपदा प्रबन्धन खतरों को टालने या समाप्त नहीं करता है अपितु यह आपदाओं के प्रभाव को कम करने की योजना बनाने पर केंद्रित है।

आपदा प्रबन्धन एवं राहत विभाग, राजस्थान सरकार के सहायोग से हरिशचन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित एक दिवसीय रेसक्यू मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वायत्त शासन विभाग में आयोजित करवाया गया।

कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा की गई। उन्होनें हरिशचन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से आये समस्त प्रशिक्षकों का अभिवादन किया और कहा कि आपदा प्रबन्धन एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी होना सभी के लिये अनिवार्य है। उन्होनें अपने उद्‌बोधन में बद्रीनाथ केदारनाथ में आई आपदा का विवरण दिया कि यदि हमें इन विपदाओं से बचने के थोड़े बहुत भी उपाय आते है तो हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते है, एवं दूसरों को भी बचा सकते है।

प्रोफेसर रिपुन्जय सिंह ने आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सामान्य जानकारी एवं विभिन्न आपदाओं से बचाव एवं समाधान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होनें कहा कि आपदा प्रबन्धन अनिवार्य रूप से एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें कई संगठन शामिल है, जिन्हें आपदा के प्रभाव से रोकने, कम करने, तैयार करने, जवाब देने और पुनप्राप्ति करने के लिये मिलकर कार्य करना चाहिये। पिछले दशक (1992–2000) में प्राकृतिक आपदाओं ने 66,59,590 लोगों को मार डाला है, आपदाओं के कारण 80प्रतिशत मौते हो गई है। इन आपदाओं में मारे जाने वाले लगभग दो तिहाई लोग विकासशील देशों (जैस भारत) में से है, जिनमें से केवल 4प्रतिशत हताहतों को संख्या अत्याधिक विकसित देशों से दर्ज की गई है। (IFRCRC, 2001)

भारत में एक विश्लेषण से पता चलता है कि देश के विकास में बाधक अनेकों मौलिक समस्याऐं हैं जो कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। इनके प्रमुख कारण है, तेजी से बढ़ता

शहरीकरण, बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन, सार्वजनिक नीतियॉ, पर्यावरण क्षरण।

उन्होनें बताया कि भारत की भूगौलिक स्थिति के परिणामस्वरूप कही अत्यन्त वर्षा बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो कही सूखाग्रस्त क्षेत्र। ऐसी आपदाओं को समझने व उनसे निपटने के उपाय ही आपदा प्रबन्धन है जिसके लिये केन्द्र सरकार व राज्य सरकार प्रशिक्षण कार्य हेतु अग्रसर है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक सत्र आपदा प्रबन्धन का रखना अनिवार्य है जिसका बजट राज्य सरकार को दिया गया है। इसकी प्रतिमाह मॉनिटरिंग भी होती है।

उन्होनें उक्त प्रशिक्षण से आशा रखी है कि प्रशिक्षण के दौरान श्रीमती अंजना गहलोत व सुनील सांघी अपने सहयोगियों के साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न तरीकों की जानकारी देंगे जो कि भविष्य में अत्यन्त उपयोग सिद्ध होगी।

जीवन रक्षक कौशल एवं ट्रोना प्रबन्धन – श्रीमती अंजना गहलोत

श्रीमती गहलोत ने अपने सहज शब्दों में ट्रोमा के बारे में बताते हुए कहा कि ट्रोमा चिकित्सा के क्षेत्र में वह शब्द है जो कि एक बड़े आघात, चोट या शारिरिक क्षति के कारण होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ट्रोमा एक प्रकार का नुकसान है जो गंभीर रूप से पीड़ित घटना के परिणाम स्वरूप होता है।

श्रीमती गहलोत ने प्रतिभागियों से अपने–अपने अनुभव साझा करने को कहे। उन्होनें पूछा कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो, तो उस अवस्था में आप उसकी किस प्रकार सहायता कर सकते है। उन्होनें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी। उन्होनें यह भी बताया कि अब नियम में बदलाव हो गये है। पुलिस भी अब घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करती है।

उन्होने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अध्याधिक खून का बहाव हो अघात के कारण, तो किस प्रकार उसकी चोट पर पट्टी बांधी जाऐ जिससे रक्त का बहाव रूक जाऐ। उन्होनें CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम Ventilation द्वारा व्यक्ति को सहज सांस लेने के लिये हथेली द्वारा दबाव डाला जाता है जब तक कि व्यक्ति में सहज रक्त परिसंचरण नह हो। यह उन लोगों को दिया जाता है जो सांस लेने में असमर्थ हो अथवा सांस नहीं आ पा रहा हो। जैसे Agonal Respirations

CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) में International Liaison Committee के अनुसार 5CM और 6CM गहरी और कम से कम 100 से 120 प्रति मिनट की दर से व्यस्कों के लिये छाती पर दबाव शामिल है। बचावकर्ता मुँह या नाक में वायु द्वारा कृत्रिम Ventilation प्रदान कर सकता है जिससे व्यक्ति के फेफड़ो में वायु का संचार हो सके। बच्चों में CPR प्रक्रिया सामान्यतया नहीं की जा सकती।

आग व अन्य आपदा के समय सुरक्षा एवं बचावः श्री सुनील सांघी

श्री सुनील सांघी द्वारा उद्‌बोधन में बताया गया कि आमतौर पर आपदाओं में बहुत कम या कोई चेतावनी नहीं होती है। जिससे लोगों की मृत्यु, चोट या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा हो सकता जो कि सिर्फ पुलिस या अग्निशमन सेवाओं द्वारा ही नहीं किया जा सकता। आमजन यदि आपदा व आपदाओं के समय बचाव उपाय जनता हो तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाऐं टल सकती है।

उन्होने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भूकम्प या Building गिरने जैसी परिस्थितियों में फंस जाता है तो भी उसके जीवित रहने की संभावनाऐ होती है।

आपदा बचाव कार्य में सबसे पहले आपदा में फसे जीवित व्यक्तियों को ढूंढ़ना होता है। आपदा से संबंधित समस्त तथ्यों को एकत्रित कर मौके पर बचाव कार्य शुरू किया जाता है। उसी के आधार पर बचाव प्रणाली तैयारी की जाती है। उन्होनें बचाव कार्यो में प्रयोग होने वाले अनेक उपकरण के बारे में जानकारी दी जिनमें हेलमेट, मास्क एवं दस्ताने शामिल है।

उन्होनें अनेकानेक रस्सीयों के बारे में जानकारी दी जो कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बचाव कार्यो मे प्रयुक्त होती है। Raffle Down, Ascender, Seat Hardness, Jammer, Descendar, Pulley आदि के बारे में Practical Demonstration द्वारा उनकी उपयोगिता बताई।

उन्होनें बताया कि यदि अत्यन्त ऊँची बिल्डिंग में हो व आग में फसा हुआ हो तो किस प्रकार उसको रस्सी के द्वारा बचाया जा सकता है। अंत में डॉ रिपुंजय द्वारा इस अर्द्ध दिवसीय कार्यशाला में विभाग द्वारा सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 20 नगरीय निकाय खुले मे शौच मुक्त

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 20 नगरीय निकाय क्षेत्रों पुष्कर, देवली, विद्याविहार, रामगढ़ शेखावाटी, रतननगर, सलूम्बर, पदमपुर, फुलेरा, झालरापाटन, नापासर (बीकानेर), निम्बाहेड़ा, विजयनगर (अजमेर), अनूपगढ़, मण्डावा, सांभरलेक, परबतसर, इन्दरगढ़ (बून्दी), राजाखेड़ा, गजसिंहपुर व नोखा को खुले मे शौच मुक्त घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र को पूर्व में खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक किये गये कार्यो की स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह की अध्यक्षता में स्वायत्त शासन भवन में 18 अप्रैल, 2017 को प्रातः 11:00 बजे बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में 20 नगरीय निकाय क्षेत्रों खुले में शौच मुक्त घोषित करते हुए डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि उक्त शहरों की केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र ऐजेन्सी द्वारा प्रमाणिकरण का कार्य किया जाकर प्रमाण–पत्र दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उन्होनें कहा कि 30 जून, 2017 तक प्रदेश के सभी शहर अपने–अपने समस्त वार्डो में डोर–टू–डोर कचरा एकत्रिकरण व्यवस्था लागू करेंगे तथा किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए डीजीएसएण्डडी रेट कांट्रेक्ट व विभागीय दर संविदा पर उपलब्ध आवश्यक उपकरण ऑटो हुपर, ऑटो टीपर व अन्य मशीनरी क्रय की जा सकती है। उन्होनें सभी नगरीय निकायों को निर्देशित करते हुए कहा कि कचरे से खाद बनाने की कार्यवाही के लिए सभी बड़े नगरीय निकाय क्षेत्रों में दो मशीनें तथा छोटे नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक–एक मशीन लगाई जावे। उन्होनें बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों मे घरेलू, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए विभागीय स्तर पर रेट कांट्रेक्ट की व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जायेगी। उन्होनें निर्देश दिये कि सभी नगरीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गये

घरेलू, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की फोटो पोर्टल पर अपलोड करवाये। जिससे किये गये कार्या की जानकारी हो सके।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने कहा कि सभी उपनिदेशक (क्षैत्रीय) अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों में किये जा रहे कार्यो की जानकारी व्यक्तिशः लेवें तथा नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजें। उन्होनें निर्देश दिये कि राजकीय भूमि, वन विभाग, रेलवे भूमि पर भी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का कार्य करवाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि नगरीय निकाय संबंधित विभाग से सम्पर्क कर जहां आवश्यक हो वहां पर आवश्यकतानुसार सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराये। श्री अरोड़ा ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन मद में प्रदत्त राशि से जनजागृति के लिए सूचना, शिक्षा एंव संचार गतिविधियों में अब तक किये गये कार्यो की जानकारी भी निदेशालय भिजवायें।

स्वायत्त भारत मिशन के ब्राण्ड एम्बेसडर एवं डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति श्री के.के. गुप्ता ने गत दिनों प्रदेश के सभी शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गये जनसम्पर्क एवं भ्रमण की जानकारी देते हुए अपने अनुभवों को साझा किया तथा संबंधित अधिकारियों को कार्यो में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिये।

एमजेएसए को देश का सबसे अच्छा फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाएं– मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान (एमजेएसए) के पहले चरण में हुए जल संरक्षण संबंधी कार्यों का उदाहरण देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में दिया जाता है, ऐसे में जरूरी है कि अभियान के दूसरे चरण में भी उसी उत्साह से कार्य कर इसे देश का सबसे अच्छा फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाने में कोई कमी नहीं रखी जाए। उन्होंने एमजेएसए के दूसरे चरण में किये जा रहे कार्यों की पर्याप्त मॉनिटरिंग करने एवं कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

श्रीमती राजे 27 अप्रेल, 2017 को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा के लिए आयोजित विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिवों एवं अभियान से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में एमजेएसए के दूसरे चरण में अब तक की प्रगति एवं कार्यों को गति देने के उपायों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल एमजेएसए के तहत हुए कार्यों की न केवल प्रधानमंत्री एवं अन्य केन्द्रीय मंत्रियों बल्कि दूसरे देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी खूब तारीफ की थी। हमें उस स्तर को अभियान के दूसरे चरण में भी बरकरार रखना है। उन्होंने प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए कि अपने जिलों में जाकर वहां एमजेएसए के कार्यों को देखें और जिला कले□टर एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें ताकि कार्य मानसून शुरू होने से पहले पूरे हो सकें।

श्रीमती राजे ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण में अब तक की समीक्षा में जिन जिलों में काम अच्छे नहीं हुए हैं वहां के प्रभारी सचिव विशेष ध्यान देकर कार्यों को गति दें। उन्होंने कहा कि जो जिले अच्छा कार्य कर रहे हैं वहां भी पर्याप्त मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो और औचक निरीक्षण किए जाएं ताकि कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता न हो। उन्होंने कहा कि एमजेएसए से जुड़ा एप जल्दी तैयार किया जाए और अभियान से जुड़े हुए विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान दें।

मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत रोपे गए पौधों को वन विभाग को हस्तांतरित करने में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उनकी देखभाल की जा सके। उन्होंने कहा कि पौधों की पर्याप्त देखभाल की जाए ताकि हरियाली बढ़ाई जा सके।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी प्रभारी सचिव समय–समय पर दौरे कर कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे एवं प्रगति के बारे में फॉलोअप कर अभियान की सफलता में प्रभावी भूमिका निभाएंगे।

समीक्षा बैठक में राजस्थान रिवर बेसिन ऑथोरिटी के चेयरमैन श्री श्रीराम वेदिरे ने कहा कि नोडल विभाग के अधिकारी औचक निरीक्षण एवं गुणवत्ता जांच करें ताकि एमजेएसए के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने बताया कि अभियान में गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है और जहां कार्यों की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई वहां जिम्मेदारी तय की जा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री ओ. पी. मीना, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री सी. एस. राजन, एमजेएसए से जुड़े विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के सफल क्रियान्विति के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

शहरी जन कल्याण शिविरों में आम आदमी के सपने साकार होंगे

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शहरी जन कल्याण शिविरों में आम आदमी के सपने साकार होंगे। शिविर 10 मई, 2017 से 10 जुलाई, 2017 तक चलेंगे। इस दौरान विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान होगा। शिविरों के दौरान दी गई छूट दिसम्बर, 2017 तक जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई से शुरू हो रहे शिविरों के सफल आयोजन के लिए 02 मई, 2017 को जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में सभी नगर निगमों के महापौर, समस्त प्राधिकरण व नगर न्यासों के अध्यक्ष, नगर परिषद/नगर पालिका के सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी व अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शहरी जन कल्याण शिविरों में आम आदमी के सपनों को साकार किया जाये। उन्होनें कहा कि इस दौरान विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान होगा। शिविरों के दौरान दी गई छूट दिसम्बर, 2017 तक जारी रहेगी। उन्होनें कहा कि हमें आम आदमी की मदद करनी है, जिससे उसे उसकी जमीन का पट्टा मिले एवं उसे स्वामित्व का हक मले। जिससे वह अपनी जमीन पर मकान बना सके, इससे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह शिविर खुशहाली की एक कोशिश है।

उन्होनें बताया कि हमारा प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जहॉ पर ''लैण्ड गारण्टी एक्ट'' लागू हुआ है। इस एक्ट से आम आदमी को लाभ होगा। देश के अन्य राज्यों द्वारा भी इस एक्ट को अपने यहॉ लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है तथा उन्होनें इस संबंध में हमारे यहॉ से जानकारी भी ली है। उन्होनें कहा कि हमारे शहरों में महिलाओं और बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए तथा इसके लिए नगरीय निकायो को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सभी नगरीय निकायों को 5 बिन्दुओं पर कार्य करना होगा। जिनमें महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के साथ–साथ अपने शहर को स्वच्छ रखने, खुले में शौच मुक्त बनाना, पुरा स्मारको, बावड़ियों का संरक्षण, नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों एवं चिकित्सालयों में कम दर पर स्वयं या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होनें कहा कि प्रत्येक शहर का अपना एक स्वरूप है। जैसे उदयपुर सूर्य नगरीय है तथा पिंक सिटी है इस प्रकार की पहिचान को बनाये रखने में नगरीय निकायों को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होनें बताया कि दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के सभी शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 500 वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होने सभी नगरीय निकायों को दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच मुक्त बनाये जाने का लक्ष्य दिया।

उन्होनें कहा कि सभी नगरीय निकायों का वर्ष मे एक दिन नगरीय निकाय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ कार्य करने वाली नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यास, विकास प्राधिकरणों व उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया जाये। इस कार्य के लिए आम नागरिकों से भी मोबाईल ऐप के माध्यम से पॉलिंग करवाई जाये। इससे सभी नगरीय निकायों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा पैदा होगी तथा कार्यो में सुधार होगा। उन्होनें सभी आयुक्तों एवं अधिशाषी अधिकारियों से कहा कि प्रदेश को बदलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका एवं जिम्मेदार है।

उन्होनें निर्देश दिये कि शिविरो में कार्यो के त्वरित निस्तारण के लिए कार्यशाला में सभी उपस्थित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये, जिससे वे शिविरों में आमजन की समस्याओं का निदान कर सकें।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों में आमजन को राहत देने के लिए अनेकों प्रकार के छूट एवं शिथिलताएं दी गई है। यह छूट एवं शिथिलताएं दिसम्बर, 2017 तक लागू रहेंगी। उन्होनें बताया कि शिविरों में कार्यो को गति देने के लिए एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है। उन्होनें कहा कि शिविरों के प्रथम दिन शिविरों में किये जाने वाले कार्यो से संबंधित आवेदन पत्र कर उनका परीक्षण किया जाकर दूसरे स्वीकृती जारी की जायेगी।

उन्होनें कहा कि शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को उनकी भूमि के पट्टे दिये जाये तथा भूमि का नियमन किया जाये साथ ही भवन निर्माण स्वीकृती उप विभाजन जैसे कार्यो का निपटारा भी त्वरित गति से किया जाये। उन्होनें इस अवसर पर उपस्थित महापौर, सभापति, अध्यक्षों की शिविरों से संबंधित शंकाओं का समाधान किया एवं उन्हें शिविरों के बारे में आवश्यक जानकारी दी। उन्होनें स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर–घर शौचालय बनाने, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने पर भी जोर दिया तथा सभी को दिसम्बर, 2017 तक अपने–अपने शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य दिया।

इस अवसर पर नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मुकेश शर्मा ने शिविरो में किये जाने वाले कार्यो की जानकरी दी। राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीराम वैदरे ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के बारे में तथा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने शिविरों के आयोजन, स्थान के साथ–साथ शिविरों में दी गई छूट शिथिलता, प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होनें कार्यशाला में

उपस्थित प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों को जवाब दिया तथा सभी को शिविरों की सफलता के लिए उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होनें सभी को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविरों के प्रचार–प्रसार के लिए निदेशालय से भिजवाये गये डिजाईन के फ्लैक्स लगवाये। कार्यशाला में शिविरो के मॉनिटरिंग के ऑनलाईन प्रपत्र भरने की भी जानकारी दी गई।

नगर परिषद बाड़मेर की पहलः
गूगल मैप पर अपने मौहल्ले का कचरा पात्र देख सकेंगे

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद् बाड़मेर अब डिजीटल इण्डिया से जुड़ कर हाईटेक होती नजर आ रही है। नगर परिषद् की पहल से शहर के कचरा पात्र गूगल मैप पर नजर आयेंगे। जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। शहर के प्रमुख स्थानों एवं मुख्य बाजार में जहॉ कचरा पात्र लगा है, वहॉ जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा।

नगर परिषद् क्षेत्र के 40 वार्डो में 102 स्थान पर चिन्हित किए गए है, जहॉ 102 कचरा पात्र लगाए जायेंगे। प्रत्येक कचरा पात्र पर जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा। इसकी नगर परिषद् प्रभावी मॉनिटरिंग करेगी। जिससे शहर में कचरे के ढ़ेर नगर नहीं आयेंगे।

कचरा पात्र में जीपीएस लगने के बाद कचरा उठाने वाले वाहन को भी इस सिस्टम से जोड़ा जायेगा। नगर परिषद् कर्मचारियों पर भी नजर रहेगी। आमजन को इस पहल से अवगत कराने के लिए प्रत्येक वार्ड में कचरा पात्र स्थान एवं यदि समय पर कचरा नहीं उठने की स्थिति में टोल फ्री नम्बर की पर सूचना अंकित होगी। जिससे कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली लापरवाही पर अंकुश लग जायेगा।

कचरा पात्र घर बैठे ढूंढ पायेंगेः नगर परिषद की और से गूगल मैप के जरिये लिंक बनाया जायेगा। इसमे गूगल से घर के नजदीक लगाया गया कचरा पात्र आसानी से ढूंढ पाएंगें। गूगल मैप से कचरा पात्र जुड़ने से आमजन में डिजिटल इण्डिया को लेकर जागरूकता पैदा होगी।

Our Partners

National Institute of Urban Affairs

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA
International City/Country Management Association

USAEP
United States-Asia Environmental Partnership

CMAR

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,
Telefax: 0141-2229966 | website: www.cmar-india.org
Email: cmar.rajasthan@gmail.com
Electronic version of this newsletter is also available on
CMAR's website at: http://cmar-india.org/